

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून  
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001  
दूरभाष: 0135-2650809  
फैक्स-0135-2653010  
ईमेल- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &  
CLIMATE CHANGE  
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN  
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./09/21/2021/एफ0 सी0/2373

दिनांक: 26/02/2021

सेवा में,

✓ प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" तथा संक्रमण रोग चिकित्सालय की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/DISP/114282/2020)

सन्दर्भ:-कार्यालय - अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 1886/FP/UK/ DISP/114282/2020 दिनांक 13-01-2021

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है। अतः राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-


1. It is not clear whether proposal submitted for regularization or new construction. State Govt. may submit clarification in this regard.
2. Violation reported at para 11 in Part II but detailed report is not submitted. State Govt. may submit the detailed report of the violation in the case.
3. No comments have been made by the DFO against para 5.3, 5.4 & 5.5 in SIR. State Government may submit the Site Inspection Report after ensuring that the comments against para 5.3, 5.4 & 5.5 have been made.
4. No comments have been made by the DFO regarding violation in his SIR. This may be clarified and necessary comments in this regard may be provided in the SIR by the DFO.
5. No comments have been made by the Nodal Office and State Government regarding violation. The State Government may submit clarification in this regard.
6. Proceedings of Village Level Committee (VLC) meeting and Sub-Divisional Level Committee (DLC) meeting are not found uploaded. State Government may upload the VLC and SDLC meeting proceedings online.
7. State Government may submit/ upload the tree enumeration list and CA scheme duly authenticated by the DFO.
8. It is seen in the NPV calculation sheet that NPV is calculated on normal rate. State Government may direct the DFO to calculate the NPV at the rate of violation prescribed in the guidelines of ministry and submit the same.

9. Muck disposal Plan is not found uploaded, which may be done.

10. प्रस्ताव में 3.71 है० patch का lay-out plan प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह दोनो patches में lay-out इस प्रकार करें ताकि कम-से-कम वृक्षों को काटे जाने की आवश्यकता रहे।


यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

  
(टी० सी० नौटियाल)  
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

  
(टी० सी० नौटियाल)  
उप महानिरीक्षक, वन (के०)